न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/55 **दायरा दिनांक : 28.03.2023**

उनवान

1. जागीर सिंह पुत्र रामसिंह, जाति सिक्ख जाट, निवासी बादीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (मृतक) :–
   1/1. हरमीत कौर पत्नी जागीर सिंह, जाति सिक्ख जाट, निवासी बादीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां
   1/2. बलविन्द्र सिंह पुत्र जागीर सिंह, जाति सिक्ख जाट, निवासी बादीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां
   1/3. प्रदीप सिंह उर्फ सेवदीप सिंह पुत्र जागीर सिंह, जाति सिक्ख जाट, निवासी बादीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां
   1/4. तिलविन्दर कौर पुत्री जागीर सिंह, जाति सिक्ख जाट, निवासी बादीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां
   1/5. रजविन्द्र कौर पुत्री जागीर सिंह, जाति सिक्ख जाट, निवासी बादीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

2. करम सिंह पुत्र रामसिंह, जाति सिक्ख जाट, निवासी बादीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, किशनगंज, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ओ.पी.मेहता ।। अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री बृज किशोर शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 21.11.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 106/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के संयुक्त खाते की भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 21 पुरानी 19 खसरा नं. 35 रकबा 28 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 134 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 207 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 208 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नं. 236/2 पूर्वी रकबा 1 बीघा, खसरा नं. 241 रकबा 28 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 242 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 260/3 रकबा 7 बीघा, खसरा नं. 261/393 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 263 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 264/372 रकबा 4 बीघा, खसरा नम्बर 265/375 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नं. 265/376 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं. 366/378 रकबा 4 बीघा कुल किता 14 कुल रकबा 106 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम बादीपुरा पटवार हल्का बादीपुरा, तहसील

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

किशनगंज, जिला बारां में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2022 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम बादीपुरा, तहसील किशनगंज की आराजी खसरा नं. 35, 134, 207, 208, 236/2, 241, 242, 260/3, 261/393, 263, 264/372, 265/375, 265/376, 366/378 कुल किता 14 कुल रकबा 106 बीघा 7 बिस्वा के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.12.2022 पारित करते वक्त रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया गया, न न्याय की मंशा को समझने का प्रयास किया गया, मनमाना व विधि विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.12.2022 पारित की गई है जो खिलाफ कानून होने से काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित करते समय तनकीवार कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है, न तनकीयात का कोई विवेचन किया गया है जबकि तनकी नं. 1 को सिद्ध करने का भार वादी पर था तथा तनकी नं. 2 काउंटर क्लेम के आधार पर बनाई गई है जिसे सिद्ध करने का भार प्रतिवादी/अपीलांट के ऊपर था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करते समय वाद पत्र पेश हुआ जिसका उल्लेख किया गया व वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस सम्मन से तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी/अपीलांट की ओर से जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश किया गया उसका उल्लेख किया गया जिसके बाद वादी द्वारा काउंटर क्लेम का जवाबुल जवाब पेश किया गया उसका उल्लेख किया गया जिसके पश्चात तनकीयात कायम की गई तनकीयात के बाद वादी अधिवक्ता ने पी.डब्ल्यू. 1 करम सिंह के बयान का उल्लेख किया गया। वादी साक्ष्य बन्द होने पर प्रतिवादी साक्ष्य में डी.डब्ल्यू. 1, डी.डब्ल्यू. 2, डी.डब्ल्यू. 3 के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। दौराने जिरह डी.डब्ल्यू. 1 बलविन्दर सिंह ने जाहिर किया कि बाद शपथ पत्र का हवाला दिया गया व जिरह का हवाला दिया गया जिसके बाद डी.डब्ल्यू. 2 व डी.डब्ल्यू. 3 को जिरह के लिये अवसर नहीं दिया गया। साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई इसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी का कोई ना कोई विवेचन किया गया, न उल्लेख किया गया, न बहस का कोई हवाला दिया गया, केवल बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद को स्वीकार करने का निवेदन किया गया व प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपने काउंटर क्लेम को स्वीकार करने का निवेदन किया, इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन व रिकार्ड का अध्ययन कर वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य व प्रतिवादीगण का प्रतिवाद अस्वीकार योग्य है लिखा गया किन्तु इसके बाद डिक्री पारित करते वक्त डिक्री में काउंटर क्लेम का न कोई उल्लेख किया गया, न उसका कोई आदेश किया गया। डिक्री में केवल बादीपुरा की आराजी कुल किता 14 कुल रकबा 106 बीघा 7 बिस्वा में वादी का 1/2 हिस्सा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करके भिजवाने के आदेश तहसीलदार, किशनगंज को दिये जाते हैं लिखकर डिक्री जारी की गई इस प्रकार डिक्री में काउंटर क्लेम का ना कोई उल्लेख किया गया, न कोई निर्णय पारित किया गया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.12.2022 खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.12.2022

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जावे कि अपीलांटगण के काउंटर क्लेम पर विधिवत पक्षकारान को सुनवाई कर निर्णय पारित किया जावे व तनकीवार विवेचन कर पुनः विधि सम्मत निर्णय व डिक्री पारित की जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 18.01.2023 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.12.2022, दावा, जवाबदावा, काउंटर क्लेम सब के आधार पर तीन तनकियां कायम की। किसी भी तनकी का निष्कर्ष नहीं निकाला। अधीनस्थ न्यायालय में तनकी बनाई गई पर तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में पारित कियात्मक आदेश में काउंटर क्लेम का कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। अतः हमारे काउंटर क्लेम का तनकीवार निर्णय करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। रेस्पोडेंट ने कहा कि हमने साक्ष्य पेश नहीं किये जबकि उनके द्वारा तीन गवाह पेश किये गये हैं जो डी.डब्ल्यू 1 से डी.डब्ल्यू. 3 हैं। वादग्रस्त आराजी पैतृक हिन्दू परिवार की सम्पत्ति थी। अतः पैतृक सम्पत्ति में सभी के अधिकार निहित हैं। पिता रामसिंह की सम्पत्ति से बनाई अन्य आराजीयात है जो हमने काउंटर क्लेम में बतायी है। धारा 14(4) की कार्यवाही अतिरिक्त जिला कलेक्टर के न्यायालय में जैरकार है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट रूप से काउंटर क्लेम को अस्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गलत निर्णय नहीं किया। धारा 53 का निर्णय सही है। काउंटर क्लेम के सन्दर्भ में कोई साक्ष्य पेश नहीं की, ना ही किसी प्रकार से उसको साबित किया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने काउंटर क्लेम खारिज किया। काउंटर क्लेम में वादी व प्रतिवादी का 1/2, 1/2 हिस्सा स्वयं स्वीकार किया है। चालाकी से हमने आराजी खरीद कर अपने नाम दर्ज करवा ली तो रजिस्ट्री को खारिज करवाना चाहिए था। पुत्र के नाम आवंटन करवा ली तो उसे खारिज करवाने हेतु कार्यवाही करनी चाहिए थी। धारा 53 में रेकार्ड देखा जाता है और उसी के आधार पर निर्णय किया जाता है। अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई.आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। वादी रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जमाबंदी संवत 2070 से 2073 में वादी एवं प्रतिवादी की सहखातेदारी में दर्ज खाता संख्या नई 21 पुरानी 19 की कुल किता 14 कुल रकबा 106 बीघा 7 बिस्वा विवादित आराजी को वादी एवं प्रतिवादी के मध्य अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर 1/2, 1/2 हिस्सा विभाजन कर पृथक खाते दर्ज करने की प्रार्थना की। प्रतिवादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा जय काउंटर क्लेम पेश कर विशेष आपत्तियां दर्ज करवायी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दावा, जवाबदावा मय काउंटर क्लेम के आधार पर तनकीयात कायम की। साक्ष्य वादी प्रतिवादी दर्ज करवायी। वादी व प्रतिवादी वकील की जिरह का उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में किया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में वादी व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दावा, जवाबदावा मय काउंटर क्लेम एवं साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को अपने विश्लेषण में विभाजन के इस दावे में वादी का वाद स्वीकार करने व प्रतिवादी का काउंटर क्लेम अस्वीकार करने के तथ्यों का विधिवत विश्लेषण करते हुए कारण अंकित करते हुए तनकीवार निर्णय पारित करना आवश्यक था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम अस्वीकार करने का कोई विधिवत् कारण अपने निर्णय में अंकित नहीं किया है, साथ ही अपने विश्लेषण के आधार पर निर्णय में निष्कर्ष भी अंकित नहीं किया है जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2022 खारिज किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तनकीयात कायम की गई है उनका वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर विधिवत विश्लेषण कर तनकीवार विवेचन करते हुए पुनः तनकीवार विधिवत निर्णय पारित किया जाये। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.01.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/11/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा